भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 9202 OF 2019

श्रीमती। एथेल लूर्डेस डिसूजा लोबो ... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

लुसियो नेविल जूड डी सूजा और अन्य। . . .प्रतिवादी

साथ

सिविल अपील सं. 2019 का 9203

प्रलय

एस. रवीन्द्र भट्ट, जे.

1. वर्तमान अपीलें बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा बेंच1 द्वारा दिए गए फैसले से उत्पन्न हुई हैं। यह विवाद पुर्तगाली सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "संहिता") के अनुच्छेद 1369 से 1447 तक अध्याय XVII के तहत आविष्कार कार्यवाही 2 से उत्पन्न होता है।

2. वर्तमान मामले में आविष्कार कार्यवाही शुरू हुई और प्रतिनिधि गुइलहर्मे कैटानो सूजा और उनकी पत्नी, मारिया गुइलहरमिना ऑगस्टा लूर्डेस एगुइर सूजा की मृत्यु के कारण शुरू की गई। उक्त मृतक की संपत्ति के विभाजन के लिए 1985 में ये कार्यवाही शुरू की गई थी।3 मृतक के छह उत्तराधिकारी थे (इसके बाद उनके नाम से संदर्भित) - यानी, पेड्रो (याचिकाकर्ता द्वारा जीवित, एथेल हस्ताक्षर WP नंबर में सत्यापित नहीं है । 671/2010 दिनांक 10.08.2012 नागरिक संहिता के ग्रंथ में वर्णित द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित , डॉ. लुइस दा कुन्हा गोंसाल्वेस द्वारा, खंड विरासत की संपत्ति और देनदारियां 17:55:30 IST कारण:

संपत्ति, ताकि एक या अन्य, या ऋण के भुगतान के बाद शेष शेष, मृतक के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जा सके, या उसके एकमात्र उत्तराधिकारी को आवंटित किया जा सके।"

आविष्कार कार्यवाही संख्या 109/1985/1 लूर्डेस; और प्रतिवादी संख्या 23-26); हरमनो (पहले चार उत्तरदाताओं द्वारा बचे); मारिया एमिला पुलक्वेरिया नेटिविडे (पांचवीं प्रतिवादी, मृतक और उसके उत्तराधिकारी जीवित हैं - प्रतिवादी संख्या 6 से 11); मारिया पेट्रीसिया लूसिया (मृतक, प्रतिवादी संख्या 12 से 21 तक जीवित); मारिया एमिलिया जूलियटा (मृतक); और एडविन (मृतक)। विचाराधीन संपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ अचल संपत्ति की तीन वस्तुएं शामिल हैं। उत्तराधिकारियों में से एक, प्रतिनिधी एडविन, 28.02.2001 को आयोजित नीलामी (अनुज्ञप्ति) में उत्तराधिकारियों के बीच सबसे अधिक बोली लगाकर, संपत्तियों की दो वस्तुओं (संख्या 2 और 3) में सफल रहे। विवादित संपत्ति मद संख्या 1 है।

3. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि संहिता एक व्यापक कानून है, जिसमें विभिन्न मामलों के संबंध में मूल और प्रक्रियात्मक दोनों तत्व शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित मामले, विरासत और सम्पदा के उत्तराधिकार के तत्व शामिल हैं। संहिता प्रारंभ में 1867 में बनाई गई थी; गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962 की धारा 5 (1) के आधार पर गोवा के भारतीय संघ में शामिल होने पर यह "प्रभावी कानून" के रूप में लागू हो गया।

4. जब उत्तराधिकार किसी संपत्ति के लिए खुलता है, तो मृतक की संपत्तियों (चल और अचल दोनों) और देनदारियों का आविष्कार किया जाता है। आविष्कार कार्यवाही में, परिवार के एक बड़े सदस्य को कैबेका डी कैसल (प्रशासक) के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रशासक को मृतक की सभी संपत्तियों की एक सूची तैयार करनी होगी। मृतक की संपत्तियों का आविष्कार और मूल्यांकन किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कोड 4 में निर्धारित हिस्सों के अनुसार वितरित किया जाता है।

5. उपरोक्त चरणों के अनुसार संहिता के अनुच्छेद 1369 के तहत, संपत्ति का प्रारंभिक मूल्यांकन आविष्कार कार्यवाही शुरू करने वाले पक्षों द्वारा तय किया जाना है। अनुच्छेद 1387 के अनुसार , संबंधित अदालत, एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा संपत्तियों के मूल्यांकन का आदेश देती है, जहां विवरण के खिलाफ कोई प्रश्न (मुद्दे या विवाद) नहीं उठाए जाते हैं या उठाए गए लोगों का निर्णय नहीं किया गया है। मूल्यांकन चरण रेफरी जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा और अन्य । (2019) 20 एससीसी 85 तब उत्पन्न होगा जब अनुज्ञप्ति होगा, और पक्षकार प्रत्येक संपत्ति के लिए बाजार मूल्य की पेशकश करेंगी। पक्षकारों को अनुच्छेद 1379 के तहत संपत्तियों की सूची के बारे में सूचित किए जाने के बाद , उन्हें

या उनमें से किसी को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना होगा। अनुच्छेद 1391 के अनुसार, यदि इच्छुक पक्ष 48 घंटों के भीतर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो अधिकार माफ कर दिया जाता है, और कोई अनुज्ञप्ति नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में, कार्यवाही में सूचीबद्ध संपत्ति इच्छुक पक्षकारों को उनके संबंधित हिस्सों के अनुसार आवंटित की जाएगी। अनुज्ञप्तिकरण, सामान्यतः एक बंद नीलामी है, जिसमें मृतक के उत्तराधिकारी, जो संपत्ति में हिस्सों के हकदार हैं, भाग लेते हैं। अनुज्ञप्ति अनुच्छेद 1412 द्वारा प्रदान किया जाता है; यह इस प्रकार पढ़ता है:

"अनुज्ञप्ति एक नीलामी है जिसमें केवल उत्तराधिकारियों और अधिकार धारक पति-पत्नी को ही प्रवेश दिया जाता है, उन मामलों को छोड़कर, जहां पूर्ववर्ती लेखों के संदर्भ में, प्राप्तकर्ता या विरासती को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए। यह विरासत की उन संपत्तियों पर गिर सकता है जिन्हें किसी विशेष पक्षकार में आवंटित किया जाना जरूरी नहीं है।

6. इस मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, 28.02.2001 को, मद संख्या 1 भी अनुज्ञप्ति का हिस्सा था; स्वर्गीय मारिया एमिलिया सूजा सबसे अधिक बोली लगाने वाली थीं। चूंकि उसने बकाया राशि के भुगतान में चूक की, इसलिए नई बोली का आदेश दिया गया। 17.12.2004 को, दूसरे अनुज्ञप्ति में बोली शुरू हुई, और मद संख्या 1 को शामिल करते हुए 03.01.2005 तक जारी रही। हरमनो (इस अदालत में पहले चार उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) ₹34,15,100 की उच्चतम बोली के साथ सफल रहा। /-. हरमनो को कैबेका डी कैसल के रूप में गठित किया गया था। 11.07.2008 को उनकी मृत्यु हो गई। तब तक उन्होंने अपने द्वारा दी गई बोली के लिए कोई राशि जमा नहीं की थी। उस स्तर पर, अंतिम विभाजन सारणी तैयार नहीं किया गया था। इस तथ्य की सूचना आविष्कार कार्यवाही से संबंधित संबंधित अदालत को दी गई। उसी समय, कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए एडिलेड एम. डी सूजा (पेड्रो के उत्तराधिकारी, प्रतिवादी संख्या 26) द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। वर्तमान अपीलकर्ता ने नए कैबेका डी कैसल की नियुक्ति और मद संख्या 1 की पुनः नीलामी के लिए एक आवेदन भी दिया।

7. पुनर्नीलामी के दावे का हरमनो के उत्तराधिकारियों ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि वे कार्यवाही जारी रख सकते हैं और वे मद संख्या 1 के हकदार हैं। विचारण न्यायालय (या ट्रायल कोर्ट) ने अपने आदेश5 द्वारा संहिता के अनुच्छेद 1417(सी) का हवाला देते हुए अपीलकर्ता के आवेदन को अनुमति दी। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया था कि प्रावधान लागू नहीं होता क्योंकि बकाया राशि के भुगतान का नोटिस नहीं दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि संपत्ति की दोबारा नीलामी की जानी थी और चूंकि हरमनो ने निर्धारित समय के भीतर बिक्री आय जमा नहीं की थी, और उसके उत्तराधिकारी नीलाम की गई संपत्ति, यानी मद

संख्या 1 के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते थे। आगे यह माना गया कि हरमनो के उत्तराधिकारी बोली के संबंध में सफल नहीं हो सके, क्योंकि वह विरासत योग्य वस्तु नहीं थी। इस फैसले के खिलाफ हरमनो के उत्तराधिकारियों ने अपील की थी।

8. जिला न्यायाधीश, मडगांव ने अपने आदेश 6 द्वारा विचारण न्यायालय के फैसले को उलट दिया और माना कि एक सफल बोली का प्रभाव यह था कि सफल बोली लगाने वाले के पास संपत्ति का अधिकार था, जो उसकी मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो गया। जिला न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि संहिता की धारा 1737 के तहत विचार की गई सूची में वारिस की विरासत में एक सफल बोली से प्राप्त अधिकार शामिल हैं। एक अनुज्ञप्ति में, क्योंकि इसमें बकाया चुकाने का अधिकार शामिल था। आगे यह माना गया कि नीलामी के लिए राशि जमा करने का अवसर प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से के संबंध में राशि को विभाजित करने के बाद ही उत्पन्न होगा और केवल तभी जब बोली राशि आविष्कार कार्यवाही में सफल बोली लगाने वाले के हिस्से से अधिक हो। आगे यह माना गया कि दायित्व और अधिकार कानूनी उत्तराधिकारियों, यानी वर्तमान उत्तरदाताओं को हस्तांतरित होते हैं। अदालत ने यह भी माना कि एक सफल बोली लगाने वाले के अधिकार को व्यक्तिगत रूप से नहीं माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु के बाद यह समाप्त हो जाएगा। ऐसा मानने के लिए, उच्च न्यायालय ने संहिता के अनुच्छेद 1439 का हवाला दिया, जो उसकी राय में, एक सफल बोली लगाने वाले को एक प्रशासक के रूप में संपत्ति रखने के लिए एक सूची में प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है।

दिनांक 25.03.2009 दिनांक 27.08.2010, विविध में। सीए 87/2009.

पक्षकारों का प्रस्तुतीकरण

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कीन सरदिन्हा ने आग्रह किया कि प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष गलत हैं। यह तर्क दिया गया कि एक सफल बोली लगाने वाले को, जो अनुच्छेद 1737 के तहत आविष्कार कार्यवाही में एक पक्ष है, प्रदत्त अधिकार उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होते हैं। अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि नीलामी में बोली लगाने से संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं बनता है, न ही बोली लगाने वालों और अन्य इच्छुक पक्षकारों के बीच कोई अनुबंध संपन्न होता है। नतीजतन, कोई भी वंशानुगत अधिकार या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार अनुज्ञप्ति कार्यवाही में मृत भागीदार के उत्तराधिकारियों को नहीं मिलता है। यह प्रस्तुत

किया गया था कि कार्यवाही में बकाया राशि के हिस्से का निर्धारण करने वाले विभाजन का कोई सारणी नहीं था, जिसका मतलब था कि कोई भी पक्ष दावा नहीं कर सकता था या कीमत में अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकता था।

10. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि नीलामी के माध्यम से किसी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार कभी भी वंशानुगत अधिकार नहीं हो सकता है, और बोली लगाने वाले की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। वर्तमान मामले में, इस बात पर जोर दिया गया कि बोली राशि का भुगतान करने से बहुत पहले ही हरमनो की मृत्यु हो गई थी। नतीजतन, नीलामी का कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ा। अनुच्छेद 1417 (सी) पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अनुज्ञप्ति के बाद, सफल बोली के बाद भी वास्तव में कोई राशि जमा नहीं की गई थी, इसलिए हरमनो की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं मिल सकता है।

11. श्री सरदिन्हा ने आगे इस बात पर जोर दिया कि उसी संपत्ति के संबंध में, यानी, मद संख्या 1, पिछली नीलामी - वर्ष 2001 में आयोजित की गई थी, जिसे सफल बोली लगाने वाले द्वारा बकाया राशि जमा करने में विफलता के कारण निष्फल माना गया था। . इन परिस्थितियों में, हरमनो के उत्तराधिकारियों के किसी भी दावे को खारिज करने के लिए उसी तर्क को प्रबल होना पड़ा। अंत में, यह आग्रह किया गया कि आविष्कार कार्यवाही लंबी हो गई है - चूंकि वर्तमान मामले में नीलामी 2005 में हुई थी और अपनी मृत्यु तक हरमनो अपने दायित्व को पूरा नहीं करना चाहता था। उनके उत्तराधिकारियों ने पुनर्नीलामी का विरोध किया, जिससे संपत्ति के लिए अधिक राशि प्राप्त होगी, और सभी उत्तराधिकारियों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत होगी।

12. प्रतिवादी की विद्वान वकील सुश्री विभा दत्त मखीजा ने शुरू में कहा कि इस न्यायालय को अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आविष्कार कार्यवाही को विभाजन के मुकदमों से नहीं जोड़ा जा सकता है। उनका उद्देश्य किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का वर्णन करना और उसका बंटवारा करना है। संहिता का अनुच्छेद 2064 से 2166 मूल प्रावधानों को अधिनियमित करता है, जबकि प्रक्रियात्मक प्रावधान अनुच्छेद 1369 से 1447 में निहित हैं। इस प्रक्रिया में, जब पक्षकारों के अनुरोध पर अनुज्ञप्ति आयोजित किया जाता है, तो विशिष्ट संपत्तियों को उनके व्यापक सहमत मूल्यांकन के बाद चिह्नित किया जाता है। फिर पक्ष विभाजन के तरीके का संकेत देते हैं जिस पर अदालत फैसला सुनाती है। यह इस प्रक्रिया के बाद है कि अदालत विभाजन का एक सारणी तैयार करती है, जिसमें पक्षकारों द्वारा उनकी पात्रता और हिस्से के आधार पर आविष्कार कार्यवाही के लिए भुगतान की जाने

वाली पारस्परिक राशि का संकेत दिया जाता है, और किसी के साथ उनके हिस्से के प्रकट मूल्य के समायोजन को ध्यान में रखा जाता है। उनकी ओर से दायित्व (जैसे सफल बोलीदाताओं के रूप में समायोजन के बाद देय अंतिम राशि)। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, अंतिम विभाजन के चरण तक नहीं पहुंचा गया था। नतीजतन, उच्चतम बोली, यानी ₹34,15,100 को हरमनो द्वारा देय बकाया राशि नहीं कहा जा सकता है।

13. यह प्रस्तुत किया गया कि अदालत ने सही ढंग से माना कि हरमनो की संपत्ति में न केवल उसके अधिकार और दायित्व शामिल हैं, बल्कि आविष्कार कार्यवाही में एक शेयरधारक के रूप में उसका अधिकार भी शामिल है - जिसमें मद संख्या 1 के लिए एक सफल बोलीदाता के रूप में उसका अधिकार शामिल है। इस संबंध में, प्रतिवादी द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में अनुच्छेद 1737 पर भरोसा किया गया था।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

14. संहिता के प्रावधान, जिस हद तक वे प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैं:

" अनुच्छेद 1736 (उत्तराधिकारी और विरासती की अवधारणा) उत्तराधिकारी वह व्यक्ति है जो धन या वस्तु का योग निर्दिष्ट किए बिना विरासत की समग्रता, या उसके एक हिस्से का उत्तराधिकारी होता है। वसीयतकर्ता वह व्यक्ति है, जिसके पक्ष में वसीयतकर्ता किसी धनराशि, या निर्दिष्ट वस्तुओं, या उसके एक निश्चित हिस्से का निपटान करता है।

. अनुच्छेद 1737 विरासत में लेखक की सभी संपत्तियों, अधिकारों और दायित्वों को शामिल किया गया है, जो केवल व्यक्तिगत नहीं हैं या जो अन्यथा लेखक के स्वभाव या कानून द्वारा अपवादित हैं।

********** ********** **********

सब डिवीजन वी

लाइसेंस और विभाजन का

अनुच्छेद 2126 (विभाजन का स्वरूप और लाइसेंस की घोषणा) विवरण और मूल्यांकन हो जाने के बाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पार्टियों को विभाजन के स्वरूप के बारे में सुना जाएगा, और यदि उनमें से कोई किसी संपत्ति या अन्य वस्तु के लिए बोली लगाने को तैयार है, वह अपने उत्तर में ऐसा घोषित करेगा। अनुच्छेद 2127 (अनुज्ञप्ति की औपचारिकताएं और कब आयोजित किया जाना है) अनुज्ञप्ति विभाजन के कार्य से पहले

होगा, सभी पक्षों को बुलाए जाने के बाद, और यह केवल उनके बीच ही होगा, जैसे कि यह नीलामी का मामला हो।

अनुच्छेद 1416 (विभाजन का सारणी) अनुच्छेद 1414 में निर्दिष्ट आदेश के साथ फ़ाइल प्राप्त होने के बाद , कार्यालय आठ दिनों के भीतर, उसी आदेश के अनुसार और पूर्ववर्ती अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार, विभाजन का सारणी तैयार करेगा। सारणी के चित्रण के प्रयोजनों के लिए, सबसे पहले, यह पता लगाया जाएगा कि मूल्यांकन और अनुज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक प्रकार की संपत्तियों के मूल्यों को जोड़कर और निष्क्रिय ऋण, विरासत और कटौती करके संपत्ति की कुल राशि क्या है। शुल्क जिन पर छूट दी जानी चाहिए; इसके बाद प्रत्येक पक्षकारों के हिस्से की राशि की गणना की जाएगी और प्रत्येक प्रकार की संपत्तियों में पक्षकार को कितना हिस्सा आवंटित किया जाएगा; अंततः प्रत्येक हिस्सा का आवंटन विवरण की वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में किया जाएगा। जो बहुत छंटनी द्वारा निकाले जाने हैं उन्हें अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। अनुच्छेद 1: मान केवल आंकड़ों द्वारा दर्शाए जाएंगे। विवरण की वस्तुओं की संख्याएं अंकों और शब्दों में दर्शाई जाएंगी और जब वे निरंतर हों तो केवल उन अंतिम संख्याओं को नोट किया जाएगा जिनके बीच संख्यांकन शामिल है। यदि वस्तुओं का कुछ अंश सह-वारिसों को मिलता है, तो ऐसे अंश का उल्लेख किया जाएगा।

अनुच्छेद 2: प्रत्येक लॉट में उस प्रकार के गुण दिखाए जाएंगे जिनमें यह शामिल है।

अनुच्छेद 3: न्यायाधीश सारणी के प्रत्येक पृष्ठ पर आद्याक्षर करेगा और सुधार, मिटाने या अंतर्संबंधों के ईमानदार स्मरण की पुष्टि करेगा।

अनुच्छेद 1417 (जब उपहार में दी गई संपत्ति या अनुज्ञप्ति के अधीन संपत्ति पक्षकारों के हिस्से से अधिक हो तो उठाए जाने वाले कदम) जहां कार्यालय को सारणी बनाने के समय पता चलता है कि उपहार में दी गई या अनुज्ञप्ति द्वारा ली गई संपत्ति संबंधित पक्षकार के हिस्से से अधिक है पार्टी या मृतक के डिस्पोजेबल हिस्से के मामले में, फ़ाइल में एक सारणी के आकार में एक स्मरण दर्ज किया जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वास्तव में अतिरिक्त राशि क्या है, और उसके बाद निम्नलिखित देखा जाएगा:

(ए) जहां सह-उत्तराधिकारी को उपहार में दी गई संपत्तियों के बीच में कोई ऐसी संपत्ति मौजूद है जो विभाज्य नहीं है, जो प्राप्तकर्ता के हिस्से में पूरी तरह उपयुक्त नहीं बैठती है, ऐसी संपत्ति किसी अन्य संपत्ति की तरह आंशिक संपत्तियों के समूह का हिस्सा बनेगी। विरासत; अन्य मामलों में, प्राप्तकर्ता को तीन दिनों के भीतर अपनी पसंद के अधिकार का

प्रयोग करने के लिए सूचित किया जाएगा, जो उसे नागरिक संहिता के अनुच्छेद 2107 के अनुच्छेद 4 द्वारा प्रदान किया गया है , ऐसा न करने पर उसका हिस्सा न्यायाधीश द्वारा इंगित संपत्तियों के साथ आवंटित किया जाएगा। ;

(बी) जहां किसी अजनबी को दिया गया उपहार अप्रभावी है, उसे नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1493 के संदर्भ में कम कर दिया जाएगा ;

(सी) जिन लोगों ने अनुज्ञप्ति में संपत्ति नहीं ली है और जिन्हें अनुज्ञप्ति में सफल रहे लोगों द्वारा देय बकाया राशि आवंटित की जानी है, यदि वे चाहें तो तीन दिनों के भीतर भुगतान की मांग करने के लिए सूचित किया जाएगा। यदि मांग की जाती है तो सफल बोली लगाने वाले को राशि जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहां भुगतान की मांग नहीं की गई है, बकाया धन विभाजन के अंतिम निर्णय की तारीख से कानूनी ब्याज अर्जित करेगा और उसके लेनदार देनदार को दी गई संपत्तियों पर कानूनी दृष्टिबंधक दर्ज कर सकते हैं।

15. यह माना जाता है कि, विभाजन के मुकदमों के विपरीत, संहिता के तहत आविष्कार कार्यवाही अनिवार्य रूप से प्रतिकूल नहीं है। संहिता द्वारा शासित किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शुरू की गई इन कार्यवाहियों में , उस घटना की सूचना न्यायालय को दी जाती है। मृतक की संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों में से न्यायालय द्वारा एक कैबेका डी कैसल (प्रशासक या घर का मुखिया) नियुक्त किया जाता है। जब हिस्सों के बंटवारे के बाद कार्यवाही समाप्त हो जाती है, तो कोई आज्ञप्ति नहीं होती है। कैबेका डी कैसल को मृतक की संपत्ति की सभी वस्तुओं की प्रतिवेदन करने का आदेश दिया गया है

- यदि वसीयतनामा दस्तावेजों में वसीयतें हैं, तो उनका विवरण। इसके बाद वस्तुओं को विभाजित करने की मांग की जाती है: उस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। जिन संपत्तियों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वे फिर अनुज्ञप्तिकरण कार्यवाही का विषय हैं, जहां वारिसों को उन संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाती है। फिर विभाजन का सारणी तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक उत्तराधिकारी के शेयर और शेयरों के मूल्य को सूचीबद्ध किया जाता है। जो लोग ऐसे शेयर से अधिक संपत्ति (अनुज्ञप्ति आदि के माध्यम से) सुरक्षित करते हैं, उनके पास पंच है। जकारियास इयूरेट डोमिंगोस परेरा बनाम कैमिलो इनासिल एवरिस्टो परेरा , एआईआर 1984 बीओएम 295 बकाया राशि का भुगतान करने के लिए। ओवेल्टी क्या है, इस न्यायालय

द्वारा टीएस स्वामीनाथ ओडयार बनाम पश्चिम तंजौर के आधिकारिक प्राप्तिकर्ता 8 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था:

"इसलिए यह इस प्रकार है कि जब संयुक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को अचल संपत्तियों के अत्यधिक आवंटन पर हिस्सों की बराबरी के लिए बंटवारे पर एक सदस्य को बकाया दिया जाता है, तो बकाया का प्रावधान आम तौर पर भूमि पर ग्रहणाधिकार या शुल्क बनाता है विभाजन के तहत लिया गया। विभाजन आज्ञप्ति के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट शर्तों में एक ग्रहणाधिकार या आरोप बनाया जा सकता है। इस प्रकार उस सदस्य के पक्ष में कानूनी आरोप का सृजन होगा, जिसे ऐसा दायित्व दिया गया है। हालाँकि, यदि ऐसा कोई आरोप स्पष्ट शब्दों में नहीं बनाया गया है, तो भी ग्रहणाधिकार मौजूद हो सकता है क्योंकि यह उस संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में विभाजन की शर्तों से निहित है। जिस सदस्य को इस तरह के विभाजन पर संपत्ति का अत्यधिक आवंटन किया गया है, वह अन्य सदस्यों को बकाया भुगतान करने के दायित्व से मुक्त होने या उसके हिस्से में आने वाली संपत्तियों को हासिल करने का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, उसे अपने हिस्से के लिए जो मिलता है, वह उसे आवंटित संपत्ति है जो इस तरह के बकाया का भुगतान करने के दायित्व के अधीन है और आवश्यक निहितार्थ से उसके हिस्से में आवंटित संपत्तियों और संबंधित ग्रहणाधिकार में से बकाया का भुगतान करने के लिए उसकी ओर से एक दायित्व आयात किया जाता है। उन सदस्यों के पक्ष में जिनके हिस्से में आई संपत्तियों पर ऐसा बकाया दिया जाता है।"

16. तब, ओवेल्टी, विभाजन की कार्यवाही में एक सदस्य को "किसी अन्य सदस्य को अचल संपत्तियों के अत्यधिक आवंटन" पर हिस्सों की बराबरी के लिए प्रदान की जाती है। इसलिए, कुल राशि जो वारिसों को उनके हिस्सों के अनुसार वितरित की जानी है, उसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई बकाया राशि भी शामिल है, जो उसे आवंटित हिस्सा से अधिक अचल संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता है।

17. श्री दामोदर रामनाथ अल्वे बनाम श्री गोकुलदास रामनाथ अल्वे और अन्य 9 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों में से एक ने बकाया के भुगतान के चरण को समझाया:

"23. अनुच्छेद 1417 उन कदमों को संदर्भित करता है जो तब उठाए जाने चाहिए जब उपहार में दी गई संपत्ति या अनुज्ञप्ति का विषय पक्षकार के हिस्से से अधिक हो। अनुच्छेद 1417 का खंड (सी) इस प्रकार है:-

"सी) जिन लोगों ने अनुज्ञप्ति में संपत्तियों को नहीं लिया है और जिन्हें अनुज्ञप्ति में सफल रहे लोगों द्वारा देय बकाया धन आवंटित किया जाना है, उन्हें तीन दिनों के भीतर भुगतान

की मांग करने के लिए सूचित किया जाएगा, यदि वे चाहें तो। यदि [1957] 1 एससीआर 775 1997 (4) बॉम सीआर 653 मांग की गई है, सफल बोली लगाने वाले को राशि जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा।

मौजूदा मामले में मांग की गई थी और 4 जनवरी 1989 को इत्तला जारी किया गया था। इस प्रकार, इस दिन से 5 दिनों की अवधि शुरू होती है। उन्होंने 12 जनवरी 1989 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें सिविल सूट संख्या 202/1986/ए का फैसला होने तक बकाया राशि के भुगतान से छूट दी जाए और इसे 18 फरवरी 1989 को खारिज कर दिया गया। 27 फरवरी 1989 को, अपीलकर्ता दामोदर ने एक और आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि बकाया राशि जमा करने के लिए उसे चालान जारी किया जाए। 28 फरवरी 1989 को उन्हें चालान सौंपे गए। हालाँकि, आवेदन दायर करने से अवधि नहीं बढ़ाई गई। अपीलकर्ता दामोदर 5 दिनों के भीतर पैसा जमा करने में विफल रहा और इसलिए, दामोदर अब सफल बोलीदाता नहीं रहा। उसका अधिकार समाप्त हो गया।"

18. यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले सहित किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा बकाया, या किसी भी राशि का भुगतान करने का प्रश्न, एक या अन्य उत्तराधिकारियों की मांग पर निर्भर है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले, यानी मोतीबाई सर्वोत्तम पाई कैनो और अन्य में, एक मांग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, इस बिंदु को सामने लाया गया था। वी. मारिया एल्सा डो पेरपेटुओ सोकोरो मोटा और अन्य .10 जहां अदालत ने इस प्रकार फैसला सुनाया:

"अनुच्छेद 1417 के प्रावधान पर एक नज़र डालने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बकाया धन का भुगतान करने में विफलता के लिए ऋणदाता फैसले की तारीख से वसूली तक कानूनी ब्याज का हकदार है और मांग होने पर संपत्ति के संबंध में एक प्रकार का बंधक दर्ज करने का भी हकदार है। बनाया नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि पैसे का भुगतान करने में विफलता से संपत्ति का प्रत्यावर्तन नहीं होता है। लेकिन, ऐसे मामले में जहां मांग उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो बकाया प्राप्त करने का हकदार है और यदि मांग की सूचना के तीन दिनों के भीतर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो आवंटन अप्रभावी हो जाता है और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाता है। दोबारा नीलामी में चूककर्ता पक्ष भाग लेने और कोई बोली लगाने का हकदार नहीं है।" रंजीत सतार्डेकर बनाम क्लॉटिल्डेस फर्नांडीस में इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था:11 "14. मेरे विचार में, नागरिक संहिता का अनुच्छेद 2137 किसी पक्ष को कोई वास्तविक अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह नीलामी मूल्य के भुगतान से संबंधित प्रक्रिया के पहलुओं से संबंधित है। यह 1867 में अधिनियमित कानून में निहित था। सीपीसी, जैसा कि पहले ही कहा गया है, 1/01/1941 से लागू किया

गया था और बाद में किए गए नए प्रावधानों के आलोक में भुगतान की मांग कब की जानी है और किसके द्वारा और किसके द्वारा की जानी है। जमा करने में विफलता के मामले में किसे और क्या परिणाम भुगतने होंगे, मेरे विचार से नागरिक संहिता के अनुच्छेद 2137 के प्रावधानों को निहित रूप से निरस्त कर दिया जाएगा और अनुच्छेद 1994(2) बीओएम के प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सीआर 628 सिविल आवेदन संख्या 294/2007 में प्रथम अपील संख्या 289/2006, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 14.02.2008 को सीपीसी के 1417 (सी) पर निर्णय लिया गया , माना जाता है कि अपीलकर्ताओं को अनुच्छेद 1417 (सी) के अनुसार भुगतान की मांग करने के लिए सूचित किया गया था।) लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया कि इसे बनाया जाना चाहिए और इसके आलोक में, प्रथम दृष्टया, विभाजन के सारणी को अपीलकर्ताओं की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती। इसका भी कोई मतलब नहीं है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बोली की पूरी कीमत जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि बोली लगाने वाली संपत्ति में उसका अपना हिस्सा पर्याप्त है। यह विचार कि नागरिक संहिता के अनुच्छेद 2137 का प्रावधान निहित रूप से निरस्त कर दिया गया है और अब अनुच्छेद 1417 सीपीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 2137 को ओवरराइड करता है, विद्वान लेखकों फर्नांडो एंड्रेड पाइरेस डी लीमा और जोआओ डी माटोस एंट्यून्स वेरेला द्वारा आयोजित एक दृष्टिकोण है जिसे यहां ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 9/04/1957 के फैसले में फ़ाइल संख्या 56.939 में भी यही विचार व्यक्त किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था:

' अनुच्छेद 2126 और नागरिक संहिता का पालन आज एक बड़े हिस्से में नागरिक प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है '..."

19. इस न्यायालय ने भी बाबूराव कारेकर बनाम विलास आत्माराम बंदोदकर12 मामले में इस विषय पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया है ।

"द्वितीय. गोवा दमन और दीव के पारिवारिक कानूनों में श्री एमएस उस्गाओकर द्वारा अनुवादित पुर्तगाली संहिता के अनुच्छेद 1417 (सी) '(सी) जिन लोगों ने अनुज्ञप्ति में संपत्तियों को नहीं लिया है और जिन्हें सफल लोगों द्वारा देय बकाया राशि आवंटित की जानी है यदि वे चाहें तो अनुज्ञप्ति में, भुगतान के तीन दिनों के भीतर मांग करने के लिए सूचित किया जाएगा। यदि मांग की जाती है तो सफल बोलीदाता को राशि जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहां भुगतान की मांग नहीं की गई है, बकाया धन विभाजन के अंतिम निर्णय की तारीख से कानूनी ब्याज अर्जित करेगा और उसके लेनदार ऋण के लिए तय की गई संपत्तियों पर कानूनी दृष्टिबंधक दर्ज कर सकते हैं।' तृतीय. प्रसिद्ध पुर्तगाली न्यायविद् जोआओ एंटोनियो

लोप्स कार्डोसो की टिप्पणियाँ, उनकी पुस्तक ज्यूडिशियल पार्टिशन्स - थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम में। 2, एड. अनुच्छेद 1417 पर 1955 'यदि चार्ट तैयार करते समय रजिस्ट्री को पता चलता है कि नीलामी में ली गई संपत्ति संबंधित इच्छुक पक्षकार के हिस्से से अधिक है, तो वह एक सारणी के रूप में एक ज्ञापन बनाएगी जिसमें सटीक राशि बताई जाएगी अधिकता। [पुर्तगाली नागरिक प्रक्रिया संहिता का अनुच्छेद 1 417] इसके बाद, जिन लोगों ने कोई बोली नहीं लगाई या बल्कि जो लोग कम प्राप्त करते हैं, जिन पर बकाया राशि सबसे अधिक बोली लगाने वालों या उन लोगों द्वारा बकाया है जिन्होंने अपने संबंधित हिस्से को पार कर लिया है, यदि वे चाहें तो तीन दिनों के भीतर भुगतान की मांग करने के लिए उन्हें सूचित किया जाएगा।

यदि वे मांग करते हैं, तो उच्चतम बोली लगाने वाले या जिस व्यक्ति को अधिक राशि आवंटित की गई है, उसे नीलामी के अप्रभावी होने के डर से बकाया राशि जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा। [पुर्तगाली सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुच्छेद 1417 खंड (सी)।]"

10. हालांकि पार्टियों के विद्वान वकील ने अपने संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अनुवादित संस्करणों के अलग-अलग अर्थों का आग्रह किया है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर, (2015) 12 एससीसी 659 हमें संहिता के अनुवादित प्रावधानों के अर्थों में कोई भिन्नता नहीं मिलती है । वास्तव में, हमारे अनुसार, अनुच्छेद 1417(सी) का तात्पर्य और अर्थ स्पष्ट और स्पष्ट है। विभाजन का सारणी तैयार होने और अदालत द्वारा अनुमोदित होने के बाद, अनुच्छेद 1417 के खंड (सी) के तहत , अदालत पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह उन सभी पक्षों की पहचान करे, जिन्होंने पारिवारिक नीलामी/अनुज्ञप्ति में भाग नहीं लिया था और यह सुनिश्चित करें ऐसे व्यक्ति(यों) पर इत्तिला की सेवा ताकि ऐसे इत्तिला की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर, उक्त पक्ष यानी, लेनदार यदि चाहें तो भुगतान की मांग उठा सकें। एक बार ऐसी मांग उठने पर नीलामी-क्रेता/सफल बोलीदाता राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति का कोई कानूनी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नीलामी-क्रेता द्वारा भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं है। यह संहिता के प्रावधानों की पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में है कि अदालत को पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी रुख की जांच करने की आवश्यकता होगी जैसा कि वर्तमान अपील में हमारे सामने पेश किया गया है।

11. माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, संहिता के अनुच्छेद 1417 (सी) के तहत आवश्यक भुगतान की कोई मांग उठाने के लिए अदालत द्वारा क्रेडिट या (ओं) को कोई इत्तिला जारी नहीं किया गया था । उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि 26-6-2008 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब ऐसी मांग का गठन

करता है और इसके अलावा 3 दिनों के भीतर अपीलकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया था जिससे मामला ख़राब हो गया। नीलामी की कार्यवाही. भले ही हमें पूर्वोक्त आधार पर आगे बढ़ना है, जहां तक प्रतिवादी की मांग का संबंध है, अपीलकर्ताओं की ओर से 3 दिनों के भीतर राशि जमा करने में विफलता का आरोप नीलामी की कार्यवाही को खराब करने में चूक का कारण नहीं बन सकता है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था। अनुच्छेद 1417(सी) 3 दिनों के भीतर लेनदार द्वारा मांगी गई राशि जमा करने में विफलता पर अनुज्ञप्ति की अमान्यता पर विचार नहीं करता है। ऐसे लेनदार को इत्तिला मिलने के बाद कि वह भुगतान की मांग उठा सकता है, लेनदार द्वारा मांग उठाने के लिए 3 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। यदि अनुच्छेद 1417(सी) को ऊपर बताए गए तरीके से पढ़ा जाए तो हम यह नहीं देख पाते हैं कि उच्च न्यायालय नीलामी-खरीदार/अपीलकर्ताओं की कथित विफलता पर नीलामी की कार्यवाही/अनुज्ञापत्र को कैसे दूषित मान सकता है। 3 दिन के अंदर बकाया राशि का भुगतान करें। किसी भी स्थिति में, दिनांक 26-6-2 008 के उत्तर में की गई "मांग" संहिता के अनुच्छेद 1417(सी) के तहत जारी किसी भी नोटिस के अनुरूप नहीं है ।

12. उपरोक्त सभी तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि वर्तमान मामले में अनुज्ञप्ति को अमान्य कर दिया गया था क्योंकि अपीलकर्ता की ओर से मांग की गई राशि का भुगतान करने में विफलता हुई थी। संहिता के अनुच्छेद 1417(सी) के तहत अपेक्षित प्रतिवादी । उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अक्षम्य हैं और हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे।

20. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नीलामी में सफलतापूर्वक बोली लगाने पर, संबंधित उत्तराधिकारी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ऐसे बोली लगाने वाले को किसी अन्य उत्तराधिकारी द्वारा जमा की जाने वाली राशि की मांग पर देय होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमा अवधि इस प्रकार की गई मांग पर निर्भर है। इस नियम का तर्क यह है कि जब तक ऐसे बोलीदाताओं के हिस्से से अधिक राशि की गणना नहीं की जाती है, तब तक वे भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में अंधेरे में रहते हैं। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी; पक्षकारों को उस राशि के बारे में सूचित नहीं किया गया जिसके वे हकदार थे; या कि प्रतिवादी ने मांग नहीं की। इस कारण से, यह अदालत अपीलकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं है।

21. जहां तक हरमनो के उत्तराधिकारियों के उस आइटम की बोली के हकदार होने के अधिकार का सवाल है, अपीलकर्ता का तर्क था कि ऐसी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार

पूरी बोली राशि जमा करने पर सशर्त या आकस्मिक था; चूँकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उत्तराधिकारियों को कुछ अस्पष्ट अप्रत्यक्ष अधिकार विरासत में नहीं मिल सकते। संहिता के अनुच्छेद 1737 के अवलोकन से पता चलता है कि इसे व्यापक संदर्भों में रखा गया है; यह घोषणा करता है कि "विरासत" में "लेखक की सभी संपत्तियां, अधिकार और दायित्व शामिल हैं, जो केवल व्यक्तिगत नहीं हैं या जो अन्यथा स्वभाव से अलग हैं..." माना जाता है कि हरमनो एक उत्तराधिकारी था, जो मृतक की संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार था। . उनकी मृत्यु पर, वह हिस्सा उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हर्मेनो का बकाया चुकाने पर किसी विशेष वस्तु पर दावा करने का अधिकार, जब मांग की जाती है, "संपत्ति" है या "केवल व्यक्तिगत अधिकार" है।

22. अनुच्छेद 1737 में जो प्रावधान है वह यह है कि विरासत, या मृतक की संपत्ति में सभी संपत्तियां, अधिकार और दायित्व शामिल हैं जो व्यक्तिगत नहीं हैं या अन्यथा स्वभाव से अलग हैं। इस प्रकार, विरासत की अवधारणा व्यापक है और इसमें संपत्ति सहित सभी अधिकार और दायित्व शामिल हैं। अब, संपत्ति अपने आप में एक व्यापक शब्द है; इसमें भौतिक और निराकार संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति (जो अनिवार्य रूप से नकारात्मक अधिकार हैं, कानूनी बाड़ों के रूप में जिसका मालिक हकदार है, दूसरों द्वारा उपयोग को रोकने के लिए) शामिल है। अधिकार और अधिकार और भी व्यापक अवधारणाएँ हैं। वासुदेव रामचन्द्र शेलत बनाम प्राणलाल जयानंद ठाकर13 में इस अदालत ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी कि शेयर हस्तांतरण फॉर्म के साथ शेयरों की डिलीवरी, जिसके कारण शेयरों को पंजीकृत करने का अधिकार प्राप्त हुआ, संपत्ति थी:

"हमारा मानना है कि ऐसा अधिकार अपने आप में "संपत्ति" है और शेयरों के तकनीकी कानूनी स्वामित्व से अलग किया जा सकता है। शेयरों का अगला या "स्वामित्व का पूर्ण अधिकार" निश्चित रूप से कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुपालन से होगा। दूसरे शब्दों में, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त हिस्सों में "संपत्ति" अधिकारों का हस्तांतरण, शेयरों के स्वामित्व के सभी या पूर्ण 1975 (1) एससीआर 534 अधिकारों के वास्तविक निहितार्थ और अभ्यास के पूर्ववर्ती हो सकता है। कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों के अधिकार।"

23. मुद्दे की जांच का दूसरा तरीका यह है कि क्या हरमनो के अधिकार "व्यक्तिगत अधिकार" थे। बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन का दावा करने का अधिकार उमाबाई और अन्य में एक व्यक्तिगत अधिकार माना गया है। वी. नीलकंठ धोंडीबा चव्हाण (मृत) एल.आर.एस. द्वारा। और Anr.14 और भीमराव रामचन्द्र खलाटे (मृतक) एल.आर.एस. के माध्यम से। वि. नाना दिनकर यादव तानपुरा एवं अन्य15. इसी तरह, अशोक कुमार गुप्ता

और अन्य के अनुसार, एक ट्रस्टी का दूसरे सह-ट्रस्टी के खिलाफ दावा एक व्यक्तिगत अधिकार है। वी. सीतालक्ष्मी साहूवाला मेडिकल ट्रस्ट और अन्य.16; और अमिरथम कुडुम्बा बनाम सरनाम कुडुम्बन।17 में , यह माना गया कि नाबालिग के अभिभावक द्वारा की गई बिक्री पर महाभियोग लगाने का अधिकार नाबालिग में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है जो हस्तांतरणीय नहीं है।

24. वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि हरमनो का भाग लेने का अधिकार, और उचित चरण में संपत्ति की विशिष्ट वस्तु का दावा करना - जब बकाया की मांग की जानी थी, केवल एक व्यक्तिगत अधिकार था, जो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो गया। अनुज्ञप्ति प्रक्रिया में बोली लगाने का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में उनकी क्षमता में था, जिसमें से उन्हें कैबेका डी कैसल के रूप में गठित किया गया था। यदि अन्य सभी वस्तुएँ उसके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा विरासत में मिली हैं (क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वे उसके स्थान पर कदम रखते हैं) तो संपत्ति की उस वस्तु के संबंध में एक पूरी तरह से अलग निष्कर्ष असमर्थित है जिसके लिए उसने सफलतापूर्वक बोली लगाई है, लेकिन जिसमें किसी भी राशि के भुगतान की मांग नहीं की गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि, परिवार के एक या अन्य सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान से संबंधित विभाजन का अंतिम सारणी तैयार नहीं किया गया था; परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा बकाया भुगतान या जमा करने की कोई मांग स्वीकार नहीं की गई। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं था कि हरमनो की उच्चतम बोली, किसी अस्पष्ट तरीके से नष्ट कर दी गई थी। एक सफल बोलीदाता के रूप में उनकी स्थिति और अधिकार, और उनका (2005) 6 एससीसी 243 2021 (9) एससीसी 45 2020 (4) एससीसी 321 1991 (2) एससीआर 389 ऐसा करने के लिए कहे जाने पर संबंधित राशि का भुगतान करने का दायित्व था। उसके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा विरासत में मिला हुआ।

25. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय सही है। इसलिए, अपीलें बिना योग्यता के हैं, और परिणामस्वरूप, लागत पर आदेश के बिना खारिज कर दी जाती हैं।

....जे [एस. रवीन्द्र भट्ट]

....जे [सुधांशु धूलिया] नई दिल्ली, 19 सितंबर, 2022।

हिन्दी रूपान्तरण

सदन लाल प्रियदर्शी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी